न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 54 / 18
(जीसीएमएस नम्बर 2018 / 00448)

निर्णय दिनांकः– 15-07-2025

1. राधेश्याम पुत्र भोजराम जाति ब्राहम्ण निवासी जसवंतसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. गोपालराम पुत्र छोगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी रतनीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेंट्स के वादपत्र को एकतरफा विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर सिर्फ वादी को सुनते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ने एक दावा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131, 136 एल आर एक्ट का प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया केवल मात्र स्टेट को पक्षकार बनाया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया उक्त जवाब में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्टेट वादी के वाद से सहमत नहीं है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को तनकी बनाई जानी थी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई तनकियात कायम किये बिना तथा बिना कोई प्रदर्श के ही वादी का वाद एकतरफा स्वीकार किया गया है जो विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–05–2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था कि वादगत भूमि की मौका रिपोर्ट अप्राप्त जिसका स्मरण करवाया जाकर पत्रावली दिनांक 28–06–2017 को पेश हो। उक्त नियत पेशी को पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई मोका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को सीधे बहस हेतु निर्धारित कर दिया गया तथा अगली ही पेशी पर निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। अपीलांट का रिकोर्ड दुरूस्ती का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार था मगर उससे पूर्व ही रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना दावा डिक्री करवा लिया गया। रेस्पोडेन्ट की भूमि धोरे की होने के कारण रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा समतल जमीन लेने के लिए प्रस्तुत किया गया। यदि वादी/रेस्पोडेन्ट को यह भूमि चाहिए भी है तो उन्हें विनिमय के माध्यम से जाना था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी को अनुतोष प्रदान किया गया है जिसमें अपीलांट को सुने बिना ही उनकी जमीन को फिटिंग करवा लेने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे।

आगे उन्होंने लोकस पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अपीलांट की भूमि

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की तरमीम हो जाने से अपीलांट प्रस्तुत अपील में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करे।

आगे अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा तौर पर पारित किये गये है एवं एकतरफा तौर पर पारित आदेशों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट को जान बूझकर वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था जिससे अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो पाई थी। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब रेस्पोडेन्ट अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने हेतु आये एवं प्रथम जानकारी से अपीलांट द्वारा अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने सर्वप्रथम लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए कहा कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई लोकस हासिल नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णित वाद में ना तो पक्षकार था एवं ना ही निर्णित वाद में अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलीफ मांगी गई है। अतः अपीलांट अपीलाधीन अराजी से हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार नहीं होन से अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई हासिल ना होने के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

आगे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियांद पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट ने मियांद कण्डोन करने के जो कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वो झूठे एवं मिथ्या है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के जो कारण अंकित किये है वो संतोषजनक नहीं है। मियांद अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब के प्रत्येक दिन का कारण प्रस्तुत करना होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट के कब्जा करने से होना अंकित किया है जबकि ऐसा कुछ रेस्पोडेन्ट ने किया ही नहीं था। केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियादं प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील को मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपनी जो भी बहस की है वो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अपील मीमो से बाहर की है। एवं अपील मीमो के बाहर के कोई भी बिन्दु अपीलांट द्वारा नहीं उठाये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में पारित किया गया है जिसके कारण वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में तारीख तब्दील की गई है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किस प्रकार व्यथित है इसके संबंध में अपीलांट द्वारा ना तो कोई कथन किया गया है तथा ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। केवल मात्र अपीलांट के मौखिक कथनों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलांट की भूमि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से रेस्पोडेन्ट को फिटिंग की गई है। अतः अपीलांट द्वारा ना तो अपनी भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है तथा ना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से व्यथित होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किये है। अपीलांट द्वारा यह कथन किया जाना कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वांछित मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही वाद डिक्री किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका रिपोर्ट संलग्न है जो वाद डिक्री किये जाने से पूर्व की है एवं उक्त मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट/वादी का कब्जा बताया गया है जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री विधि के अनुसरण में पारित किये जाने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. प्रकरण में सर्वप्रथम जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2017 के विरूद्व अपील दिनांक 12–07–2018 को प्रस्तुत की गई है। मियांद पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा तौर पर पारित किया जाने से अपील अंदर मियांद शुमार की जावे। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना पारित किया गया है एवं अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किये जाने का कथन अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में अंकित किया है जिसके समर्थन में अपीलांट ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए व गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना श्रेयस्कर होने के बिन्दु के मध्यनजर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 205 व खसरा नम्बर 206 बाबत प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 205 अपीलांट के पूर्वज व अपीलांट के नाम से चला आ रहा है। जिससे अपीलांट का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से हितबद्व एवं प्रभावी पक्षकार होना साबित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में स्टेट एकमात्र प्रतिवादी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट का जवाब मंगवाया गया जो दिनांक दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

15–02–2017 को शामिल मिसल किया गया। उक्त स्टेट के जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्टेट जवाब में वाद–पत्र के पेरावाईज अभिकथनो का पूर्णतय खंडन किया गया है और स्पष्टतः कथन किये है कि वादी द्वारा सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया है। इस सुरत में जबकि जवाब दावा में वाद के अभिकथनो का खंडन किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रकिया अपनाते हुए तनकियात कायम की जानी थी जो साक्ष्य लेने के पश्चात तय की जानी थी। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी पत्रावली में कहीं भी कोई तनकी कायम नहीं की गई एवं ना ही कोई साक्ष्य लिये गये। स्टेट के जवाब के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वादी का वाद डिक्री किया गया है वो पूरी तरह से स्टेट के जवाब के विपरीत है एवं स्टेट द्वारा वादी को दावा पेश करने का अधिकारी ही नहीं माना है तथा स्टेट द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया है कि यदि वादी की भूमि पूर्ण रूप से मौके पर उपलब्ध नहीं है तो वादी द्वारा सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। स्टेट के जवाब में यह भी तथ्य अंकित है कि वादगत भूमि जो अराजीराज भूमि है उस पर वादी का कब्जा है एवं वादी से तवान भी वसूला गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए बिना तनकियात किये व बिना तनकियात पर विवेचन किये निर्णय व डिक्री पारित किया है जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आने से निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूण्करणसर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री 06–07–2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र में विधिक प्रकिया को अपनाते हुए पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 15-02-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर